सं0- 141/2015/7827/62-2-2015-2/3(35)/2013टी0सी0

सेवा में,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 21 नवम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढ़ढ़ीकरण/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-203/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/2013-14, दिनांक 18.8.2015 व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-6-2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश सं0-754/62-2-2014-2/3(35)/2013, दिनांक 10-03-2015 द्वारा धनराशि रू0-67.90 लाख् प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी, तत्क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन को सुढ़ढ़ीकरण/निर्माण हेतु (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि रू0-135.80 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-68.37 लाख (रूपया अरसठ लाख सैतीस हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त करते हुए वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10-6-2011 के प्रस्तर-3(5) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की योजनाओं के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढ़ढ़ीकरण/निर्माण की योजना पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अपरिमुक्त धनराशि समयान्तर्गत समर्पित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय के उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-10-लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढ़ीकरण/निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-03-2015 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10-06-2011 में दी गयी व्यवस्थानुसार जारी किया जा रहे है।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0-141/2015/7827(1)/62-2-2015, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान,बी0के0टी0, लखनऊ।
4- संबंधित जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।